डब्ल्यू-11032/07/2012-जल
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

8वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉप्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 24 जून, 2014

सेवा में,
सचिवों/सभी राज्यों के आरडब्ल्यूएस के प्रभारी प्रधान सचिव।

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के पत्र का संदर्भ लें जिसके माध्यम से 24.4.2014 पश्चिमी दक्षिण मॉनसून वर्षा के लिए 2014 हेतु भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के प्रथम चरण के बड़े रेंज का पूर्वानुमान आपको भेजा गया था। आईएमडी ने अब दिनांक 9 जून, 2014 को अपनी द्वितीय चरण की बड़ी रेंज वाला पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की गई है कि

(क) मात्रात्मक रूप से संपूर्ण आधार पर देश के लिए मौसमी वर्षा +-4% के मॉडल ऐरर के साथ एलपीए का 93% होने की संभावना है। 1951-2000 की अवधि हेतु संपूर्ण तौर पर देश भर में मौसमी वर्षा का एलपीए 89 सेमी है।
(ख) देश भर में संपूर्ण तौर पर मौसमी वर्षा (जून से सितंबर) हेतु 5 श्रेणी के संभावित पूर्वानुमान निम्नवत हैं:-

श्रेणी	**वर्षा रेंज (एलपीए का %)**	**पूर्वानुमान संभाव्यता (%)**	**जलवायु संबंधी संभाव्यता (%)**
कमी वाला	<90	33	18
सामान्य से नीचे	90-96	38	17
सामान्य	96-104	26	33
सामान्य से ऊपर	104-110	3	16
अत्यधिक	>110	0	17

2. आईएमडी द्वारा 9 जून को जारी प्रेस नोट और अनुलग्नक आपकी सूचना हेतु संलग्न है। इस पूर्वानुमान के प्रकाश में राज्यों को सूखा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिउत्तर के लिए कदम उठाने हैं। मंत्रालय दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के आपके सलाह और तदनुसार 22 मई, 2014 के डी.ओ. पत्र के अनुसरण में आपके राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को जानना चाहेगा।

3. चूँकि मंत्रालय पखवाड़े आधार पर स्थिति की समीक्षा करना चाहेगा अत: आपसे अनुरोध है कि अनुलग्नक-II में संलग्न प्रारूप अनुसार मंत्रालय के ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली पर विस्तृत सूचना उपलबध कराए।

भवदीय,

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)
दूरभाष: 24363152
फैक्स: 24364113

पेयजल मिटिगेशन गतिविधियों 2014-15 सूखा पर प्रगति रिपोर्ट

राज्य का नाम---------- **दिनांक ----------के अनुसार सूचना**

क्र.सं.	**गतिविधियाँ**	**आकस्मिक योजना अनुसार नियोजित कार्य**	**आकस्मिक योजना अनुसार प्राप्त कार्य**
1.	पेयजल की कमी से प्रभावित बसावटों की कुल संख्या		
2.	विद्यमान ट्यूब वैल/गहरा किए गए बौर वैल, पुननिर्मित अथवा मरम्मत किए गए		
	(क) खुदाई (संख्या)		
	(ख) पुनरुद्धार/मरम्मत/पंपिंग मशीनरी की विस्थापना		
3.	स्रोत में वृद्धि (संख्या)		
4.	हैंड पंपों की पुनरुद्धार/मरम्मत		
5.	ट्यूब वैलों/बौर वैलों की संख्या		
	(क) हैंड पंप		
	(ख) बौर वैल/मिनी पंप वाले ट्यूब वैल		
	(ग) गहरे ट्यूब वैल		
	(घ) खुले खोदे कुओं का निर्माण		
6.	पेयजल लाने ले जाने के लिए लगाए गए टैंकरों की संख्या		
7.	रोज सप्लाई किए गए टैंकर (संख्या)		
8.	सूखे की स्थिति वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोग में लाई गई निधियाँ (लाख रुपयों में)		